प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

विषय- 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में 11 अवशेष आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण हेतु अतिरिक्त लागतवृद्धि की धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद शाहजहांपुर में स्वीकृत 42 आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण हेतु रू० 3.00 लाख इकाई लागत की दर से कुल धनराशि रू0 126.00 लाख कार्यदायी संस्था–**उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ** को 02 किश्तों में अवमुक्त किये गये थे, किन्तु उक्त धनराशि से केवल 31 आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

2- प्रश्नगत अवशेष 11 आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा लागत वृद्धि हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर गठित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2014 में अनुमोंदन प्रदान किया गया। उक्त पुनरीक्षित आगणन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा संस्तुत रू0 4.15 लाख को अनुमोदित किया गया। अत: उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 45.65 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष धनराशि रू० 12.65 लाख (रू० बारह लाख पैसठ हजार मात्र) राज्यांश के रूप में कार्यदायी संस्था-**उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ** को योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 4000.00 लाख तथा अनुपूरक बजट रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष बजट रू0 3661.92 लाख में से स्वीकृत कर अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (दोनों किश्ते)	वर्तमान में अवमुक्त अतिरिक्त इकाई लागत		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शाहजहांपुर	आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण	11 (42 -31)	1.15 (4.15-3.00)	शत-प्रतिशत	0.00	126.00 (42आंगनबाडी)	0.00	12.65	12.65
		योग=							**योग**	**12.65**

1- परियोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

2- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

3- पुनरीक्षित आंगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर पर पूर्व अनुमोंदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- शासनादेश संख्या-1143/52-1-2011-1(37)/2008, दिनांक 15 अप्रैल, 2011 तथा शासनादेश संख्या-2030/52-1-2012-1(37)/08, दिनांक 16 जुलाई, 2012 में निहित शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के **लेखा शीर्षक"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय -02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना (केन्द्रांश-75/रा0-25-के0+रा0)-24 वृहद निर्माण कार्य"** के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2015-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या 2070(1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने के साथ ही प्रश्नगत केन्द्रों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ ।
7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहांपुर को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्र के स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के साथ ही समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8- निदेशक**, उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्र के स्थलों की सूची प्राप्त कर गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
13- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 को 03 स्वच्छ प्रति सहित/वित्त-ई-11
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in